पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

गंगा सागर गिरी

बनाम

बिहार राज्य

2018 की आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 512

10 अप्रैल 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील दत्त मिश्र)

विचार के लिए मुद्दा

- क्या गवाहों की गवाही में असंगतियों और फोरेंसिक पुष्टि की अनुपस्थिति के आलोक में अभियोजन पक्ष आरोपी का दोष सिद्ध करने में सफल रहा?
- क्या केवल रिश्तेदार/रुचि से जुड़े प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही पर आधारित सजा टिकाऊ हो सकती है जब अन्य साक्ष्य, जैसे कि बरामदगी और स्वतंत्र पुष्टि, अनुपस्थित हों?
- क्या साक्ष्य में विरोधाभास और प्रक्रिया में त्रुटियों को देखते हुए निचली अदालत का निर्णय न्यायोचित था?

हेडनोट्स

अभियोजन की कहानी में गंभीर विरोधाभास हैं, कार्यवाही में चूकें हैं, और फॉरेंसिक पुष्टि का भी अभाव है। अभियोजन का पूरा मामला संबंधित गवाहों की गवाही पर आधारित था, जिनकी घटनास्थल पर उपस्थिति का पर्याप्त समर्थन नहीं था। (पैरा 14, 15, 18)

जुआ खेलने और आग्नेयास्त्र चलने के दावों के बावजूद, अन्वेषण अधिकारी द्वारा न तो ताश के पत्ते बरामद किए गए और न ही खून से सनी मिट्टी। उसने स्वतंत्र गवाहों और यहां तक कि मृतक के परिजनों के बयान तक दर्ज नहीं किए। मृतक के शव को घर से कथित अपराध स्थल तक फर्दबयान और शव परीक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए ले जाना, अभियोजन की कहानी की विश्वसनीयता पर और भी संदेह उत्पन्न करता है। (पैरा 14.2, 15, 16, 17)

न्यायालय ने माना कि अभियोजन दोष को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा और दोषसिद्धि को निरस्त कर दिया। (पैरा 19)

न्याय दृष्टान्त

निर्णय में कोई उल्लेखित दृष्टान्त नहीं है।

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860 – धारा 302; शस्त्र अधिनियम, 1959 – धारा 27; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 374(2)

मुख्य शब्दों की सूची

प्रत्यक्षदर्शी गवाही; दोषमुक्ति; रुचि युक्त गवाह; फोरेंसिक त्रुटि; फर्दबयान; पंचनामा; ताश के पत्ते; बरामदगी का अभाव; प्रक्रियात्मक त्रुटि; संदेह से परे दोष सिद्धि

प्रकरण से उत्पन्न

रिविलगंज थाना कांड संख्या 124/2014, सत्र वाद संख्या 575/2015, जिला: सारण

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अभियुक्त की ओर से: श्री दिलीप कुमार टंडन, अधिवक्ता; श्री प्रतीक टंडन, अधिवक्ता; श्री रोहित रंजन, अधिवक्ता

राज्य की ओर से: श्री सुजीत कुमार सिंह, ए.पी.पी.

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट्स तैयार किया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 की आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 512

थाना कांड संख्या- 124 वर्ष- 2014 थाना- रिविलगंज, जिला- सारण से उद्भूत

==========

गंगा सागर गिरी, पिता- स्व. हरि शंकर गिरी, निवासी- गांव- चेन छपरा, सीताब दियारा, थाना- रिविलगंज, जिला- सारण

.....अपीलकर्ता/गण

बनाम

बिहार राज्य

.....उत्तरवादी/गण

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी के लिएः श्री दिलीप कुमार टंडन, अधिवक्ता

श्री प्रतीक टंडन, अधिवक्ता

श्री रोहित रंजन, अधिवक्ताः

राज्य के लिएः श्री सुजीत कुमार सिंह, ए. पी. पी.

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील दत्ता मिश्रा

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

दिनांक: 10-04-2025

वर्तमान अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे 'संहिता' कहा गया है) की धारा 374(2) के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें अपीलकर्ता ने सत्र विचारण संख्या 575/2015 में पारित दिनांक 08.02.2018 के दोषसिद्धि का निर्णय तथा दिनांक 12.02.2018 के दंडादेश को चुनौती दी है, जिसे विद्वान नवम अपर सत्र न्यायाधीश सारण, छपरा द्वारा रिविलगंज थाना कांड संख्या 124/2014 से उत्पन्न मामले में पारित किया गया है। जिसके द्वारा संबंधित सत्र न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया है और धारा 302 भा.दं.सं. के तहत आजीवन कठोर कारावास एवं ₹10,000/- के अर्थदंड तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत 3 वर्ष का कारावास एवं ₹5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलाने का निर्देश दिया गया है और अर्थदंड की अदायगी न करने की स्थिति में क्रमशः छह माह एवं दो माह की अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया है।

<u>तथ्यात्मक विवरण</u>:-

2. अभियोजन पक्ष की कहानी, संक्षेप में, इस प्रकार हैः-

2.1. सूचक पंकज कुमार सिंह ने दिनांक 24.10.2014 को प्रातः 05:00 बजे रिविलगंज थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष सहायक अवर निरीक्षक शाहिद हुसैन को गरीब टोला ढाला पर अपना *फर्दबयान* दिया, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि दिनांक 23.10.2014 को जब उनके चाचा हरेंद्र सिंह रात्रि 11:00 बजे तक घर नहीं लौटे, तब वे स्वयं अपने पिता शैलेंद्र सिंह एवं दादा रामेश्वर सिंह के साथ उनकी खोज में निकले। खोजबीन के क्रम में जब वे लगभग 11:30 बजे रात्रि को आलेख टोला बाजार पुल (गरीब टोला ढाला) के पास पहुँचे,

तब उन्होंने देखा कि उनके चाचा तथा 6-7 व्यक्ति पुल पर जुआ खेल रहे थे। इसके बाद उन्होंने हरेंद्र सिंह को घर जाने को कहा और वह घर जाने के लिए तैयार हो गया। इसी दौरान वहां जुआ खेल रहे गंगा सागर गिरी ने उसे रोक लिया और जुआ खेलने के लिए दबाव बनाने लगा। इस पर उसके चाचा ने उसे कहा कि उसे अपने घर जाना है और आगे जुआ नहीं खेलना है, लेकिन गंगा सागर गिरी उसे रोक रहा था। इस बात को लेकर उनके बीच हाथापाई हो गई। इसी दौरान गंगा सागर गिरी ने अपनी कमर से देसी *कट्टा* निकाला और उनके चाचा पर फायर कर दिया। गोली उनके चाचा के *पसलियों* में लगी, जिससे वे घायल होकर ज़मीन पर गिर पड़े। इसके बाद गंगा सागर गिरी वहां से फरार हो गया। सूचक ने आगे बताया कि जब वे लोग अपने चाचा को अस्पताल ले जा रहे थे और जब वे आठगामा धुरी टोला के पास पहुँचे, तभी उनके चाचा की मृत्यु हो गई। फिर वे लोग उन्हें घर ले आए और उत्तर प्रदेश पुलिस की चांद दियारा पुलिस चौकी को सूचना दी। चांद दियारा पुलिस चौकी ने रिविलगंज थाना को इसकी सूचना दी। जब रिविलगंज थाना की पुलिस घटनास्थल गरीब टोला पहुँची, तो उन्होंने हरेंद्र सिंह के शव को घटनास्थल पर लाया और वहीं पर सूचक का बयान दर्ज किया गया।

2.2. प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात्, अनुसंधान पदाधिकारी ने अनुसंधान प्रारंभ किया और अनुसंधान के क्रम में उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए। तत्पश्चात्, उन्होंने अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरुद्ध संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आरोप-पत्र समर्पित किया। चूंकि यह मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, अतः विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी ने वाद को सत्र न्यायालय को सौंप दिया, जहाँ इसे सत्र विचारण संख्या 575/2015 के रूप में दर्ज किया गया।

2.3. सत्र न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित 8 गवाहों का परीक्षण किया:-

अभियोजन साक्षी 1	अनिल शर्मा
अभियोजन साक्षी 2	मनोज सिंह
अभियोजन साक्षी 3	रामेश्वर सिंह
अभियोजन साक्षी 4	राम शंकर सिंह
अभियोजन साक्षी 5	पंकज कुमार सिंह
अभियोजन साक्षी 6	सतीश कुमार
अभियोजन साक्षी 7	डॉ. विनोद कुमार सिन्हा
अभियोजन साक्षी 8	अश्विनी सिंह

3. हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार टंडन, जिनकी सहायता श्री प्रतीक टंडन और श्री रोहित रंजन ने की है, और श्री सुजीत कुमार सिंह जो प्रतिवादी-राज्य के लिए विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी हैं, को सुना।

अपीलकर्ता की ओर से अभिकथन:-

4. अपीलकर्ता के पक्ष से विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह कथन किया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कुल 8 गवाहों में से 3 गवाहों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया और वे पक्षद्रोही हो गए। यह कथन किया गया कि अभियोजन ने अभियोजन साक्षी-3, अभियोजन साक्षी-4 एवं अभियोजन साक्षी-5 को प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में प्रस्तुत किया है। हालांकि, उक्त गवाहों के आचरण से, जो कि मृतक के निकट संबंधी हैं, यह प्रतीत होता है कि उनका आचरण स्वाभाविक नहीं था और उनकी घटनास्थल पर उपस्थिति संदेहास्पद प्रतीत होती है। यह आगे कथन किया जाता है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार,

जब मृतक को गोली लगी थी, तो उपरोक्त 3 चश्मदीद गवाह घायलों को इलाज के लिए ले गए। हालांकि, रास्ते में ही घायल ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया और इसलिए मृतक का शव उनके घर ले जाया गया। यह भी कथन किया गया कि संबंधित पुलिस पदाधिकारी भी सूचक के घर पहुँचे, जहाँ मृतक का शव रखा गया था। तत्पश्चात्, मृतक के शव को बोलेरो गाड़ी से घटनास्थल लाया गया और घटनास्थल के पास ही बोलेरो गाड़ी में ही पंचनामा रिपोर्ट तैयार की गई। अतः, विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी गवाहों द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी विश्वसनीय नहीं प्रतीत होती और उनके आचरण से अभियोजन की संपूर्ण कहानी पर संदेह उत्पन्न होता है।

5. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कथन किया कि अभियोजन के अनुसार मृतक अपीलकर्ता तथा अन्य 6-7 व्यक्तियों के साथ ताश खेल रहा था और उसी जुए के दौरान अपीलकर्ता एवं मृतक के बीच विवाद हुआ, जिसके क्रम में, अभियोजन के अनुसार, अपीलकर्ता ने गोली चलाई जो मृतक के दाहिने *पसलियों* में लगी। हालांकि, अनुसंधानकर्ता (अभियोजन साक्षी -6) की गवाही से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने घटनास्थल से कोई वस्तु जब्त नहीं की। यह भी तर्क दिया गया कि आश्चर्यजनक रूप से अनुसंधानकर्ता ने किसी स्वतंत्र गवाह का बयान दर्ज नहीं किया, यहाँ तक कि मृतक की पत्नी और बच्चों का भी बयान दर्ज नहीं किया गया। फिर एक बार यह दोहराया गया कि अभियोजन के अनुसार मृतक का शव पहले उसके घर लाया गया और फिर बोलेरो गाड़ी से घटनास्थल ले जाया गया। ऐसे में, जब पुलिस मृतक के घर पहुँची, जहाँ मृतक के पारिवारिक सदस्य भी उपस्थित थे, तब भी अनुसंधानकर्ता ने उनके बयान लेना उपयुक्त नहीं समझा। अतः, विद्वान अधिवक्ता ने यह आग्रह किया कि अपीलकर्ता को इस घटना में झूठा फँसाया गया है।

<u>राज्य की ओर से अभिकथन</u>:-

6. दूसरी ओर, विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपील का विरोध किया। उन्होंने मुख्य रूप से यह प्रस्तुत किया कि घटना के तीन प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं और सभी प्रत्यक्षदर्शियों ने अभियोजन की कहानी का समर्थन किया है। यह भी कथन किया गया कि चिकित्सीय साक्ष्य भी प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के कथन का समर्थन करता है, और इसलिए मात्र इस आधार पर कि प्रत्यक्षदर्शी गवाह स्वार्थयुक्त/संबंधी हैं, उनके कथन को नकारा नहीं जा सकता। अतः, विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने यह आग्रह किया कि सत्र न्यायालय ने प्रश्ङ्गत निर्णय तथा दोषसिद्धि एवं दंडादेश पारित करते समय कोई त्रुटि नहीं की है। अतः, विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि वर्तमान अपील को खारिज कर दिया जाए।

<u>अभियोजन साक्षियों की गवाही के संबंध में चर्चा</u>:-

7. अभियोजन साक्षी-1 अनिल शर्मा, अभियोजन साक्षी-2 मनोज सिंह और अभियोजन साक्षी-8 अश्विनी सिंह की गवाही पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है।

8. अभियोजन साक्षी.-3 रामेश्वर सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया कि घटना 24.10.2014 को रात्रि 11:30 बजे हुई। रात्रि 11:30 बजे तक उनका भतीजा हरेंद्र सिंह घर नहीं लौटा था। तब वे पंकज सिंह और शैलेंद्र सिंह के साथ उसे खोजने के लिए घर से बाहर निकले। जब वे लोग आलेख टोला पुल के पास पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ 5-7 लोग जुआ खेल रहे थे। हरेंद्र भी वहाँ जुआ खेल रहा था। उन्होंने हरेंद्र सिंह से कहा कि वह घर चले जाए। इस पर गंगा सागर गिरी ने कहा कि उसे और जुआ खेलना है। हरेंद्र ने इस बात से असहमति जताई। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई। गंगा सागर गिरी ने अपनी कमर से कट्टा निकाला और हरेंद्र पर गोली चला दी। गोली हरेंद्र सिंह के दाहिने पसलियों में लगी। गंगा सागर गिरी वहाँ से फरार हो गया। वे लोग हरेंद्र सिंह को बोलेरो गाड़ी से सदर

अस्पताल, छपरा ले गए। रास्ते में, जब वे भुरी टोला पहुँचे, तो हरेंद्र सिंह ने अपनी चोट के कारण दम तोड़ दिया। पैरा-2 में उन्होंने बताया कि वे हरेंद्र सिंह को पहले उनके घर ले गए। फिर उन्होंने चंद दियारा पुलिस चौकी (उत्तर प्रदेश) को सूचना दी। उक्त पुलिस चौकी ने रिविलगंज थाना को सूचित किया और रिविलगंज थाना की पुलिस वहाँ पहुँची। उसके बाद, वे शव को घटनास्थल पर ले गए। पुलिस ने पंकज सिंह का बयान दर्ज किया। बयान उन्हें पढ़कर सुनाया गया, और सही पाने पर पंकज सिंह ने उस पर हस्ताक्षर किया। उन्होंने फर्दबेयान पर हस्ताक्षर किया, जिसे साक्ष्य के रूप में "प्रदर्श-1" के रूप में चिह्नित किया गया है।

8.1. अपने प्रति परीक्षण में उन्होंने कहा कि पंकज सिंह इस मामले के सूचक हैं। वे लोग बलिया के निवासी हैं। अभियुक्त छपरा जिले का रहने वाला है। जुआ आलेख टोला पुल पर चल रहा था, जो कि छपरा जिले में स्थित है। पैरा-7 में उन्होंने कहा कि वे दो अन्य व्यक्तियों के साथ गांव से पैदल ही निकले थे। जुआ पुल के ऊपर खेला जा रहा था और सभी लोग फर्श पर ही बैठे हुए थे। उन्हें सभी जुआरियों के नाम नहीं पता हैं—सिर्फ अभियुक्त का नाम जानते हैं। कुल 5-6 लोग जुआ खेल रहे थे। पैरा-8 में उन्होंने कहा कि अभियुक्त गिरी ने कहा कि उसे और जुआ खेलना है और फिर उसने अपनी कमर से *कट्टा* निकालकर हरेंद्र पर गोली चला दी। उन्हें यह नहीं पता कि हरेंद्र के साथ और कौन-कौन लोग जुआ खेल रहे थे। गोली लगभग 3 फीट की दूरी से चलाई गई थी। घटनास्थल पर कुछ खून भी गिरा था। पैरा-10 में उन्होंने बताया कि पुलिस को रात में ही घटना की सूचना दी गई थी। पुलिस रात में ही घटनास्थल पर पहुँची थी और उन्हें घटनास्थल भी दिखाया गया था। इसके अतिरिक्त, पैरा-11 में उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि मृतक हरेंद्र सिंह उनका भतीजा था। उन्होंने बताया कि वे सबसे पहले शव को घर लेकर गए। कुछ समय बाद, रिविलगंज थाना की पुलिस पहुँची। सुबह लगभग 04:00 – 05:00 बजे वे शव को पुनः घटनास्थल पर ले गए।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं थी, या यह कि उनका भतीजा जुआरी था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।

9. अभियोजन साक्षी-4 रामाशंकर सिंह ने अपनी मुख्य जिरह में बताया कि घटना 23 अक्टूबर, 2014 को रात 11:30 बजे हुई। हरेंद्र सिंह घर नहीं लौटे थे। तब वे पंकज, रमेश्वर और शैलेन्द्र के साथ हरेंद्र सिंह को ढूंढने के लिए आलेख टोला गए। वहाँ उन्होंने देखा कि 5-7 व्यक्ति जुआ खेल रहे थे। उन्होंने हरेंद्र सिंह से कहा कि वह घर चलें, जिस पर हरेंद्र राज़ी हो गया। इस पर गंगा सागर गिरी ने उसे रोक लिया और फिर से जुआ खेलने का दबाव डाला। इसी बात पर हरेंद्र और गंगा सागर गिरी के बीच झड़प हो गई। इस झड़प के दौरान, गंगा सागर गिरी ने अपनी कमर से देसी *कट्टा* निकाला और हरेंद्र पर गोली चला दी, जो उसकी दाहिनी पसलियों (पंजर) में लगी। हरेंद्र वहीं गिर पड़ा। गंगा सागर गिरी वहाँ से भाग गया। फिर वे लोग हरेंद्र सिंह को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। रास्ते में, धुरी टोला के पास, हरेंद्र सिंह ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। वे लोग हरेंद्र सिंह के शव को घर ले आए और चंद दियारा पुलिस चौकी (उत्तर प्रदेश) को सूचना दी। उक्त पुलिस चौकी ने रिविलगंज थाना को सूचना दी। इसके बाद रिविलगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। वे लोग पुलिस के साथ शव को आलेख टोला पुल पर ले गए। वहां पुलिस ने मृतक के शव का *पंचनामा* तैयार किया और उन्होंने उस पर अपना हस्ताक्षर किया।

9.1. अपने प्रति परीक्षण में उसने कहा है कि पंकज उसका दूर का पोता है। पैरा-9 में उन्होंने बताया कि गरीबा टोला और भवन टोला के बीच की दूरी लगभग 2½ किलोमीटर है। उन्होंने यह भी कहा कि घटना के समय 6-7 लोग मौजूद थे, लेकिन वे उनमें से किसी को नहीं पहचानते। पैरा-11 में उन्होंने कहा कि घटना के बाद वे लोग रोने लगे। वे पैदल ही खोज में निकले थे और रास्ते में किसी से कोई बात नहीं की थी। पैरा-12 में उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर कुछ खून गिरा हुआ था। जुआ ताश के पत्तों से खेला जा रहा था। वे *दरोगा जी* के साथ घटनास्थल पर भी गए थे और उन्हें खून दिखाया था, लेकिन वहाँ ताश के पत्ते

नहीं मिले थे। पैरा-14 में उन्होंने बताया कि चंद दियारा पुलिस चौकी की टीम घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद रात 01:00– 01:30 बजे उनके पास पहुँची। चौकी की पुलिस ने रिविलगंज थाना को लगभग 02:00 बजे सूचना दी। उन्होंने आगे बताया कि रिविलगंज थाना उनके घर से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस हरेंद्र के घर के दरवाज़े पर लगभग आधे घंटे तक रुकी रही, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद शव को पुल के पास ले जाया गया और घटनास्थल पर ही *पंचनामा* तैयार किया गया। उन्होंने बताया कि शव को घटनास्थल पर बोलेरो गाड़ी से लाया गया था। वे यह नहीं कह सकते कि बोलेरो गाड़ी किसकी थी। उन्होंने आगे कहा कि एक गोली चलाई गई थी। पैरा- 20 में उन्होंने बताया कि गोली लगभग 2 1/2 – 3 फीट की दूरी से चलाई गई थी। गोली हरेंद्र के शरीर में रह गई। गोली की आवाज़ सुनकर कोई भी व्यक्ति घटनास्थल पर नहीं आया। उन्होंने यह भी बताया कि हरेंद्र और अभियुक्त के परिवारों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि हरेंद्र एक शराबी और जुआरी था। वह रात दीवाली की रात थी और हरेंद्र कभी-कभी जुआ खेलता था। उन्होंने यह भी इनकार किया कि उन्होंने पुलिस को यह बताया था कि हरेंद्र की मौत भुरी टोला में हुई थी। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि वे झूठी गवाही दे रहे हैं क्योंकि वे हरेंद्र के रिश्तेदार हैं।

10. अभियोजन साक्षी -5 पंकज कुमार सिंह, जो कि इस मामले के सूचक हैं, ने अपने मुख्य बयान में कहा कि घटना दीपावली की रात 23.10.2014 को रात 11:30 बजे हुई थी। उन्होंने बताया कि गंगा सागर गिरी ने अपनी कमर से कट्टा निकाला और उनके चाचा हरेंद्र सिंह पर निशाना साध कर गोली चलाई, जो उनके दाहिने पंजर में लगी। हरेंद्र सिंह वहीं गिर पड़े और गंगा सागर गिरी मौके से फरार हो गया। उन्होंने आगे कहा कि वे लोग अपने चाचा को इलाज के लिए सदर अस्पताल, छपरा ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में भुरी टोला के पास उनकी मृत्यु हो गई।

10.1. अपनी प्रति परीक्षण में उन्होंने कहा है कि उनके दादा रामेश्वर सिंह का बयान दर्ज किया गया है। रामाशंकर सिंह, जो उनके दादा भी हैं, का बयान दर्ज किया गया है। वह यह नहीं बता सकता कि उसके चाचा हरेंद्र सिंह कब घर से निकले। उनके एक बेटा और चार बेटियां थीं। उन्होंने ने आगे कहा है कि, जब उनलोगो ने हरेंद्र सिंह की तलाश शुरू की, तो उन्होंने उनके बच्चों को सूचित नहीं किया। उन्होंने घटना के दिन हरेंद्र सिंह को देखा था और उससे बात की थी। उन्होंने उस दिन से पहले हरेंद्र सिंह को गंगा सागर गिरि के साथ नहीं देखा था। उन्होंने कभी गंगा सागर गिरि से बात नहीं की थी और न ही वे कभी उनके घर आए थे। इसके अलावा, पैरा-8 में उन्होंने कहा है कि उनके पिता और दो दादाओं के अलावा कोई और उन्हें खोजने नहीं गया था। उस समय वह घबरा गया था। उन्होंने उस दिन से पहले गंगा सागर गिरि को नहीं देखा था। उसे इस बारे की कोई जानकारी नहीं थी कि चांद दियारा पुलिस को किसने सूचित किया था। उन्होंने आगे कहा है कि घटना स्थल पर खून बह गया था। निशानेबाज उत्तर में उससे 6 फीट दूर था। हरेंद्र सिंह उत्तर दिशा में 8 फीट की दूरी पर थे। उन्होंने आगे कहा है कि रिविलगंज पुलिस उनके दरवाजे पर नहीं आई थी, बल्कि घटना स्थल पर आई थी। जब घटना स्थल पर रिविलगंज पुलिस पहुंची तो चांद दियारा पुलिस के जवान वहां मौजूद थे। उन्होंने इस तथ्य से इनकार किया है कि हरेंद्र सिंह एक शराबी और जुआरी था। उन्होंने इस तथ्य से भी इनकार किया है कि गंगा सागर की संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए वह झूठी गवाही दे रहे हैं और उन्हें फंसाया है।

11. अभियोजन साक्षी-6 सतीश कुमार इस मामले के अनुसंधानकर्ता हैं। उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 24.10.2014 को वे रिविलगंज थाना में पदस्थापित थे। दिनांक 24.10.2014 को रात्रि 08:30 बजे उन्होंने इस मामले की जांच का प्रभार लिया और प्रातः 09:00 बजे वे घटना स्थल के लिए रवाना हुए। उन्होंने घटना स्थल पर सूचक पंकज सिंह का पुनः बयान लिया। उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया। घटना का स्थान सिलाव दियारा गरीब तोला में आलेख तोला ढाला के पास सीमेंट का पुल है।

11.1. अपने प्रति परीक्षण में उन्होंने कहा है कि उन्हें रिविलगंज थाना में जांच का प्रभार सौंपा गया था। *फर्दबयान* सुबह 05:00 बजे गरीब टोला ढाला पर थाना प्रभारी द्वारा दर्ज किया गया था। कांड दैनिकी में इसका उल्लेख नहीं है कि कैसे रिविलगंज थाना पुलिस को घटना के बारे में पता चला और यह मौके पर कैसे पहुंचे। उन्होंने *फरदबेयान* और इन्क्वेस्ट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने 24.10.2014 को सुबह 08:30 बजे जांच शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने यह दोहराया और कहा कि उन्होंने अपनी जांच 09:00 बजे शुरू की थी। 24.10.2014 को उन्होंने सभी गवाहों का बयान दर्ज किया। उन्होंने स्वतंत्र गवाहों का बयान दिनांक 20.02.2015 को दर्ज किया। पैरा-11 में उन्होंने कहा है कि उन्होंने यह कांड दैनिकी में नहीं लिखा है कि वह घटना स्थल पर किस समय पहुंचा था। उन्होंने मौके से कोई भी वस्तु जब्त नहीं की। आगे उन्होंने कहा है कि उसने मृतक की पत्नी या उसके बच्चों का बयान दर्ज नहीं किया। उन्होंने इस विषय पर अनुसंधान नहीं किया कि मृतक शराबी था या जुआरी। पैरा-18 में उन्होंने कहा है कि वे कभी चांद दियारा नहीं गए थे। उन्हें चांद दियारा चौकी द्वारा सूचित नहीं किया गया था। थाना प्रभारी ने स्वयं उन्हें सूचित किया था। उन्होंने आगे कहा है कि रामाशंकर सिंह ने उनके समक्ष यह नहीं कहा था कि हरेंद्र ने उसी तोला में चोटों के कारण दम तोड़ दिया था, जब वे उन्हें इलाज के लिए ले जा रहे थे। उन्होंने रामाशंकर सिंह का बयान 24.10.2014 को दर्ज किया था, लेकिन उसने समय का उल्लेख नहीं किया है।

12. अभियोजन साक्षी-7 डॉ. बिनोद कुमार सिन्हा ने अपनी गवाही में कहा है कि, 24.10.2014 को वे सदर अस्पताल, छपरा में चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदस्थ थे। उस दिन, रात 09:30 बजे, उन्होंने हरेंद्र सिंह की मृतक शरीर का पोस्टमॉर्टम किया और निम्नलिखित परिणामों को नोट किया:-

"**1. बाह्य परीक्षण**

(i) रिगर मोरटीस उपस्थित है।

(ii) दाहिने भाग के निचले छाती पर एक चीरा हुआ, छेद वाला घाव, जो निप्पल से लगभग 5 इंच नीचे और किनारे की ओर स्थित है, जिसका आकार 01" x 1/2" x गहराई में है, जिसमें उलटी हुई किनारें और आसपास की त्वचा में कालापन।

2. छाती और पेट की आंतरिक परीक्षण

(i) छाती की गुहिका और पेट में थक्का बना हुआ रक्त भरा हुआ था।

(ii) सभी कशेरुकाएं (अखंडित) और पीली थीं।

(iii) हृदय के दोनों कक्ष खाली थे।

(iv) पेट और बाएं गुर्दे में कई घाव और छेदन थे।

(v) एक गोली (आकार 3/4") दाहिनी पीठ के निचले भाग से निकाली गई, जो वहां दब कर फंसी हुई थी।

उसे संरक्षित करके पुलिस को सौंप दिया गया।

मेरे विचार में, मृत्यु का कारण शॉक और रक्तस्राव है, जो कि गोली से होने वाली चोट (संख्या 02) के कारण हुआ है।

मृत्यु से पोस्टमॉर्टम तक का समय - लगभग 24 घंटे।

यह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मैंने लिखी है और हस्ताक्षरित की है। इसे प्रदर्श-4 के रूप में चिह्नित किया गया है।

3. जांच के दौरान एक गोली जैसे एक बाहरी वस्तु, पाई गई। गोली को संरक्षित किया गया और पुलिस को सौंपा गया।

4. अक्टूबर महीने में, मृत्यु के 3 से 6 घंटे बाद, रक्त थक्का बन चुका था। रक्त के थक्का बनने में किसी भी महीने में कोई भिन्नता नहीं है। जलने की चोट का उल्लेख मेरी तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन कालापन का उल्लेख किया गया है। "

<u>अवलोकन और तर्क</u>:-

13. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों पर विचार किया है। हमने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य का भी अध्ययन किया है और प्रदर्शित दस्तावेजी साक्ष्य का भी अध्ययन किया है।

14. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि, जैसा कि सूचक द्वारा दिया गया *फर्दबेयान* में उल्लेख है, जब उनके चाचा हरेंद्र सिंह रात 11:00 बजे तक अपने घर वापस नहीं लौटे, तो वह अपने पिता शैलेंद्र सिंह और दादा रमेश्वर सिंह के साथ उनकी तलाश में गए और खोजबीन के दौरान, जब वे लगभग 11:30 बजे आलेख टोला बाजार पुल (गरीब टोला ढाला) के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनके चाचा और 6-7 व्यक्ति पुल पर जुआ खेल रहे थे। फिर, उन्होंने हरेंद्र सिंह को घर जाने के लिए कहा और वह घर जाने के लिए तैयार हो गया। हालाँकि, इसी बीच, अपीलकर्ता, जो वहां जुआ खेल रहा था, ने उसे रोका और उसे जुआ खेलने के लिए दबाव डाला। उस समय उनके बीच कुछ झगड़ा हुआ और इसी दौरान अपीलकर्ता ने अपनी कमर से एक देसी पिस्तौल (*कट्टा*) निकाली और उसके चाचा पर गोली चला दी। यह उसका विशिष्ट मामला है, जैसा कि *फर्दबेयान* में उल्लेख है, कि शुरुआत में वे अपने चाचा को अस्पताल ले जा रहे थे। हालाँकि, रास्ते में उनके चाचा की मृत्यु हो गई और इसलिए, उन्होंने अपने चाचा को घर लाकर संबंधित पुलिस चौकी को सूचित किया, जिसके बाद संबंधित पुलिस चौकी ने रिविलगंज पुलिस थाना को सूचना दी। इसके बाद, जब रिविलगंज पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, तो उन्होंने मृतक का शव घटना

स्थल पर लाकर, वहां पर उनका *फर्दबेयान* दर्ज किया। हालाँकि, इस चरण में यह ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन पक्ष ने 8 गवाहों की परीक्षण की, जिनमें से अभियोजन साक्षी-1, अभियोजन साक्षी-2 और अभियोजन साक्षी-8 ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और वे पक्षद्रोही हो गए हैं। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने मुख्य रूप से तथाकथित 3 चश्मदीद गवाहों की गवाही पर निर्भरता जताई है, अर्थात अभियोजन साक्षी -3 से लेकर अभियोजन साक्षी-5 तक, अभियोजन साक्षी -3 ने अपनी प्रति-परीक्षण के पैरा-7 में स्वीकार किया है कि वह और दो अन्य व्यक्ति गाँव से पैदल निकले थे और खोजबीन के दौरान रात 11:30 बजे, उन्होंने अपने चाचा को अपीलकर्ता और अन्य लोगों के साथ ताश खेलते हुए पाया। इस प्रकार, कहा जा सकता है कि तथाकथित चश्मदीद गवाहों के पास कोई वाहन नहीं था, जिसमें वे घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने का प्रयास कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, उक्त गवाह द्वारा दी गई बात के अनुसार, उन्होंने पहले शव को घर ले जाया और रिविलगंज पुलिस उनके घर पहुंची, उसके बाद मृतक का शव पुनः घटना स्थल पर लाया गया।

14.1 इसी प्रकार, अभियोजन साक्षी-4 ने भी अपनी प्रति परीक्षण के पैरा-11 में स्वीकार किया है कि वे हरेंद्र सिंह की तलाश में पैदल ही निकले थे, और उसने पैरा-12 में यह भी स्वीकार किया है कि जब दरोगा जी को स्थान दिखाया गया, उस समय वहां ताश के पत्ते नहीं थे। आगे, उक्त गवाह ने पैरा-14 में स्वीकार किया है कि संबंधित पुलिस चौकी की पुलिस रात 01:00 से 01:30 बजे के बीच उनके घर आई थी और इसके बाद रिविलगंज थाना की पुलिस रात 02:00 बजे उनके घर आई। इसके अतिरिक्त, पैरा-17 में उक्त गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि *दरोगा जी* मृतक के घर पर आधे घंटे तक रुके थे, लेकिन वहां किसी प्रकार की कोई कागजी कार्रवाई नहीं की गई थी। उसने यह भी कहा कि इसके बाद मृत शरीर को बोलेरो गाड़ी में घटना स्थल पर ले जाया गया। हालांकि, उसे उस बोलेरो गाड़ी के मालिक का नाम ज्ञात नहीं था और उक्त बोलेरो कार उनके परिवार के सदस्यों की नहीं थी।

14.2. अभियोजन साक्षी-5 सूचक है, जिसने यह स्वीकार किया है कि उसके चाचा हरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी उर्मिला देवी और उनके चार बच्चे एक ही घर में रह रहे थे। उसने यह भी कहा है कि जब वे हरेंद्र सिंह की तलाश में गए, तब उसकी हरेंद्र सिंह के बच्चों से कोई बातचीत नहीं हुई थी।

15. अभियोजन साक्षी-6 (अनुसंधान अधिकारी) ने अपनी जिरह के दौरान कहा है कि उसने घटना स्थल से कुछ भी जब्त नहीं किया। उसने यह भी कहा कि उसने मृतक की पत्नी और बच्चों का बयान दर्ज नहीं किया।

16. अनुसंधान अधिकारी द्वारा तैयार किए गए *पंचनामे* से आगे पता चलता है कि उक्त पंचनामे जाँच रिपोर्ट सुबह साढ़े पाँच बजे तैयार की गई थी। हालांकि, उस समय शव घटना स्थल के पास खड़ी बोलेरो कार में पड़ा था।

17. उपरोक्त अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह कहा जा सकता है कि अभियोजन की कहानी के अनुसार, तथाकथित चश्मदीद गवाह मृतक की तलाश में पैदल गए थे और घटना रात 11:30 बजे हुई थी। साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट होता है कि घटना स्थल के पास कुछ मकान और दुकानें थीं। यह हैरानी की बात है कि गोली चलने की आवाज सुनने के बावजूद भी कोई व्यक्ति घटना स्थल पर एकत्र नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, जब तथाकथित चश्मदीद गवाहों द्वारा मृत शरीर को पैदल उनके घर ले जाया गया, तब रास्ते में भी कोई व्यक्ति उन गवाहों से नहीं मिला और न ही किसी ने घटना के बारे में पूछताछ की। साथ ही, जब रात में पुलिस मृतक के घर पहुंची, उस समय मृतक की पत्नी और बच्चे घर पर ही मौजूद थे, इसके बावजूद भी अनुसंधान अधिकारी ने उनका बयान दर्ज नहीं किया। इसके अतिरिक्त, यद्यपि पुलिस सूचक के घर गई और वहां आधे घंटे तक रुकी, फिर भी उसका *फर्दबेयान* उसके घर पर दर्ज नहीं किया गया और मृत शरीर को अब बोलेरो गाड़ी में घटना स्थल पर ले जाया गया, जहां पर *फर्दबेयान* दर्ज किया गया और पंचनामा तैयार किया गया।

साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि अनुसंधान अधिकारी ने घटना स्थल से कुछ भी जब्त नहीं किया, जिसका अर्थ है कि न तो वहां खून पाया गया और न ही ताश के पत्तों को जब्त किया गया। इस चरण में यह स्मरण करना आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक अपीलकर्ता और छह अन्य व्यक्तियों के साथ ताश खेल रहा था, और जब मृतक ने अपीलकर्ता के साथ आगे ताश खेलने से इनकार किया, तो उनके बीच झड़प हुई, जिसमें यह घटना घटी। अतः, जब घटना स्थल पर ताश के पत्ते नहीं मिले, तो पूरी घटना की उत्पत्ति पर ही संदेह उत्पन्न होता है, विशेष रूप से जब जांच अधिकारी द्वारा उस स्थल से कोई खून न तो जब्त किया गया और न ही एकत्र किया गया, तब घटना के तरीके और स्थल दोनों पर संदेह उत्पन्न होता है। इस चरण में यह अवलोकन भी आवश्यक है कि वे 6-7 अन्य व्यक्ति कौन थे, जो घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद थे और अपीलकर्ता तथा मृतक के साथ ताश खेल रहे थे। अनुसंधान अधिकारी ने उन व्यक्तियों के बारे में, जो स्वतंत्र गवाह हो सकते थे, कोई भी जानकारी एकत्र करने या पूछताछ करने का प्रयास नहीं किया।

18. इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, जब अभियोजन पक्ष ने केवल तीन तथाकथित चश्मदीद गवाहों पर निर्भरता जताई है, जो मृतक के निकट संबंधी और स्वार्थी गवाह हैं, तो उनकी गवाही की बारीकी से जांच की जानी चाहिए। जैसा कि ऊपर चर्चा किया गया है, हमने उपरोक्त गवाहों की गवाही को बारीकी से जांचा है और हमारा मानना है कि उनका घटना स्थल पर उपस्थित होना और घटना के प्रकार तथा घटना स्थल के बारे में उनकी गवाही संदेह उत्पन्न करती है।

19. उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत, हमारा यह मानना है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है। अतः, विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत निर्णय और आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की है। इसके अनुसार, इसे रद्द और निरस्त किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:-

20. तदनुसार, 08.02.2018 को पारित दोषसिद्धि का निर्णय और 12.02.2018 को पारित सजा का आदेश, जो अतिरिक्त सत्र न्यायधीश, IX वें सारण, छपरा द्वारा सत्र विचारण संख्या 575/2015 में रिविलगंज पुलिस थाना मामले संख्या 124/2014 के तहत पारित किया गया था, उसे रद्द और निरस्त किया जाता है। अपीलकर्ता को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है।

21. अपीलकर्ता न्यायिक हिरासत में है। यदि किसी अन्य मामले में उनकी हिरासत अपेक्षित नहीं है, तो उन्हें जेल हिरासत से तुरंत रिहा किए जाने का निर्देश दिया जाता है।

22. अपील स्वीकृत की जाती है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(सुनील दत्ता मिश्रा, न्यायमूर्ति)

सचिन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।